

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1146/2013/अजमेर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-प्रथम, वृत्त-ए, अजमेर.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स होटल कोहिनूर इन (वी-2 बार) अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/6/2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-ए, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 102/12-13/वैट/अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.11.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009-10 की कर निर्धारण प्रक्रिया में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को दिनांक 25.2.2008 से प्रभावी पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 7.6.2011 को जारी करने के उपरान्त आलौच्य अवधि के त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने हेतु हिदायत दी थी, लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा त्रैमासिक विवरण-पत्र देरी से दिनांक 25.01.2012 को प्रस्तुत करने के कारण पिछले वर्ष का कर दायित्व रुपये 20,000/- से अधिक होने की स्थिति में आलौच्य अवधि में निर्गत कर (Output Tax) की 30 प्रतिशत अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रुपये 2,03,547/- तथा कर देरी से जमा के कारण धारा 55 के तहत ब्याज रुपये 3998/- आरोपित कर कुल मांग रुपये 2,07,547/- सृजित की। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने पर अपीलीय अधिकारी ने माना कि व्यवहारी को अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत परिभाषित शुद्ध भुगतान योग्य कर (निर्गत कर - आगत कर) अर्थात् रुपये 1,03,414/- (6,78,489 - 5,75,075) का 30

लगातार.....2


प्रतिशत अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित की जा सकती थी, इसलिए तदनुसार शास्ति व ब्याज आरोपण हेतु व्यवहारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर, कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। प्रतिप्रेषण आदेश से असहमत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश पूर्णतः विधिविरुद्ध, दोषयुक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात कर निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जबकि व्यवहारी को दिनांक 30.11.2011 के नोटिस से वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 की विवरणिकायें प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिनकी पालना में विवादित कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, इसलिए सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के बावजूद अपीलीय अधिकारी ने इसी निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित कर विधिक भूल की है।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिनियम की धारा 20 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 अनुसार उद्ग्रहित व संग्रहित कर के आधार पर आलौच्य अवधि में कर दायित्व पिछले वर्ष में रूपये 20,000/- से अधिक होने के कारण शास्ति विधिसम्मत रूप से आरोपित की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने प्रावधानों की अनुचित व्याख्या करते हुए धारा 17 अनुसार शुद्ध भुगतान योग्य कर के आधार पर शास्ति आरोपण को उचित होना अवधारित किया है। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की जानी चाहिये थी। अपीलीय अधिकारी ने अपील व्यवहारी स्वीकार कर विधिक भूल की है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम के तहत व्यवहारी द्वारा धारा 20 के अन्तर्गत शुद्ध भुगतान योग्य कर राजकोष में जमा कराया जाता है तथा शुद्ध भुगतान योग्य कर को धारा 17 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। तदनुसार व्यवहारी पर निर्गत कर में आगत कर घटाकर शेष शुद्ध भुगतान योग्य कर के आधार पर धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित की जा सकती थी। अपने कथन के समर्थन

 लगातार.....3

में कर बोर्ड की समन्वय पीठों के निर्णय (2012) 18 वेट रिपोर्टर पेज 114 वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत भिवाड़ी बनाम मैसर्स रूस्तगी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० तथा (2014) 21 वेट रिपोर्टर पेज 64 मैसर्स सनसिटी एलॉयज प्रा० लि० जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, जोधपुर के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। उक्त आधार पर अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलौच्य अवधि में प्रभावी अधिनियम की धारा 58 अनुसार त्रैमासिक विवरणिकायें देरी/प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवहारी के इस व्यतिक्रम के लिये हेतुक पूछना अनिवार्य है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली अनुसार व्यवहारी को आलौच्य अवधि की विवरणिकायें प्रस्तुतीकरण में देरी के लिये कारण पूछा जाना प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने केवल विवरणिका प्रस्तुत करने हेतु तीन वर्षों के लिये एक नोटिस जारी करना कथन किया है, इसलिए इसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर कोई विधिक भूल नहीं की है।

जहां तक अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति की मात्रा का प्रश्न है, कर बोर्ड की समन्वयपीठों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि अधिनियम की धारा 20 अन्तर्गत भुगतान योग्य कर के आधार पर व्यवहारियों को त्रैमासिक/वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत का दायित्व रहता है तथा धारा 17 के अन्तर्गत शुद्ध भुगतान योग्य कर को परिभाषित किया गया है। धारा 17 इस प्रकार है :-

**17. Tax payable by a dealer. –**

- (1) Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, for a tax period shall be calculated as under : –

$$T = (O+R+P) - I$$

Where –

T is net tax payable;


O is amount of output tax;

R is amount of reverse tax;

P is the amount of tax payable under sub-section (2) of section 4;

and

I is the amount of input tax.



लगातार.....4

- (2) Where the net tax payable under sub-section (1) has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act and the balance amount if any, shall be carried forward to the next tax period or periods. In case the dealer claims refund of the balance amount, if any, at the end of the year, the same shall be granted only after the end of the immediately succeeding year. However, the Commissioner after recording reasons for doing so may, by a general or specific order, direct to grant such refunds even earlier.


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (2012) 18 वेट रिपोर्टर 21 यद्यपि राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के प्रावधानों को विश्लेषित करते हुए शुद्ध भुगतान योग्य कर हेतु धारा 17 की परिभाषा को ही विधिसम्मत निर्णीत किया है। निर्णय का सुसंगत अंश पैरा 10 उद्धरित करना समीचीन होगा -

".....The contention of the Learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because if it hypothetical figure to construe 'tax payable' as the 'gross tax liability' or 'output tax' as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading "Tax payable by a dealer" on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after reducing input tax and letter "T" which defines net tax payable is [O(output tax) + R(reverse tax) + P(tax payable under section 4(2))-I(Input tax)]. Therefore, the 'tax payable' under the Rajasthan Vat Act, 2003 is nothing but 'net tax payable' by the assessee or manufacturer as per section 17 of the Act. ...."

अतः अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसार शुद्ध भुगतान योग्य कर के आधार पर शास्ति तथा ब्याज निर्धारण हेतु अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रतिप्रेषण आदेश की पुष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
26/6/14